(67)

(117)

प्रेषक,

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक

श्री राजा रघुनन्दन शर्मा
ओपी [illegible] कारऊ, शिवला
[illegible]

पत्रांक: 1362 / टी-3 / सेवा० / मा०सं०संस्तुति लखनऊ दिनांक : 3/11 सितम्बर, 2009

विषय:- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औ०प्र० केन्द्रों के व्यवसाय / यूनिटों का स्थायी सम्बद्धन प्रदान किये [illegible] महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय [illegible]

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी-समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24-6-09 पर दिनांक 30-7-09 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप-समिति की उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय / एकक जिनके लिए संस्थान / केन्द्र द्वारा स्थायी संबद्धन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी०जी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter-04 (2+2)	04(2+2)	04(2+2)	SCIR. 24-6-09 W.e.F. Aug-2009

DGET-6/24/96/TC-T.C. Dated 30-7-09.

प्रयोग किये गये संकेत:-

(1) एस०सी०आई०आर०-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
(2) एस०आई०आर०-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
(3) डी०आई०आर०-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
(4) यू०सी०-विचाराधीन
(5) एन०आर०-संस्तुति नहीं किया गया।
(6) एन०सी०-विचार नहीं किया गया।

3. आपसे अपेक्षा कि जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों / त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या बिंदुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाहि कि जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं [illegible] जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

R.S. INDUSTRIAL TRAI[NING] ... B[ARWALA]

भवदीय,

(राहुल देव)
अपर निदेशक (प्रशि० / शिक्षु०)

पत्रांक : / टी.3 / [illegible] मा०सं०संस्तुति / तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि० / शिक्षु०) मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान / केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
2. संबंधित संस्थान / केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उपनिदेशक, व्यावसायिक परीक्षा [illegible], अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल देव)
अपर निदेशक (प्रशि० / शिक्षु०)